आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–38/2019–20

अर्जुन महतो.....आवेदक

बनाम

रामकृष्ण महतो.....विपक्षी।

आदेश

14.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–अर्जुन महतो, पे०–स्व० नन्दो महतो, सा०–सेरेंगहातु, डाकखाना+थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–121 R27/2017-2018 में दिनांक–17/01/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
सेरेंगहातु	सोनाहातु	65	143	1399	58 डीसमील

चौहदीः–उ०–महादेव महतो वगैरह, द०–दुखू महतो वगैरह,
पू०–डोमन महतो, प०–झुमक महतो।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार आवेदित भूमि को अपीलार्थी ने निबंधित पट्टा सं०–1134 दिनांक–3.7.2007 द्वारा विक्रेता–रामकृष्ण महतो, पिता–घुरन महतो से क्रय किया है। यह कि विवादी भूमि का लगान रसीद जीबन महतो के नाम से निर्गत होता है। जो कि विक्रेता के दादाजी हैं। निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण वाद आवेदित भूमि के कुर्मी भूमि होने का कारण देकर अस्वीकृत कर दिया गया जो कि नियम संगत नहीं है क्योंकि वर्ष 2012 के पूर्व कुर्मी C.N.T. के अन्तर्गत नहीं आते थे। अतः इसी आधार पर यह अपील स्वीकृत किया जाए एवं अंचल अधिकारी, सोनाहातु को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–121 R27/2017-2018 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार विक्रेता कुरमी जाति के सदस्य हैं जो C.N.T. के अन्तर्गत है भूमि बिक्री अनुमति प्राप्त नहीं है।अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

उपसमाहर्त्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक–217(ii) दिनांक–31/01/2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–25/01/2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा पारित आदेशानुसार C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों, विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किये गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 1(b) का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

14/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

14/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।